आदेश पत्रक

(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

श्री मगनसिंह पुत्र श्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी खेजड़ोलिया की ढाणी तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़।	–बनाम–	श्री समद्रसिहं पुत्र श्री किशनसिंह वगैरह जाति राजपूत निवासी खेजड़ोलिया की ढाणी तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़।

किस्म मुकदमा –प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	मु.नं. 127/2019

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
06.11.2019	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री विप्लव पंडित एडवोकेट के द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थी की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 05/12/2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
29.11.19	वकील आवेदक एवं आवेदक द्वारा प्रा० पत्र मिसल में तलबी का प्रस्तुत करने पर पत्रावली को आज की पेशी पर तलब की गई। वकील आवेदक एवं आवेदक स्वयं द्वारा प्रा० पत्र में अंकित किया कि प्रा० पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। आवेदक एवं वकील आवेदक ने पत्रावली के आदेशिका पर नोट प्रेस कर प्रा० पत्र आगे नहीं चलाने बाबत निवेदन किया। अतः पत्रावली नोट प्रेस के आधार पर प्रा० पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 29.11.19 उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	Not press [illegible] मगनसिंह

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma

Date: 2019.12.01 16:49:07 IST

Reason: SelfAttested